UPGB010047582026

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 1845 सन् 2026

शिवानी पुत्री सन्तराम

प्रति

उ0प्र0 सरकार।

<u>आदेश / 25.06.2026</u>

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी / अभियुक्ता शिवानी पुत्री सन्तराम द्वारा मु0अ0सं0 151 सन् 2026 अंतर्गत धारा–191(2),191(3),190,109,115(2),117(2),352,324(5) बी0एन0एस0 व 7 सी0एल0ए0 अधिनियम थाना फेस–3, जिला गौतमबुद्धनगर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया। समर्थन में शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि इस प्रार्थनापत्र के अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र लम्बित नहीं है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि विभिन्न कम्पनियों के प्राप्त शिकायती प्रार्थनापत्रों की जांच से दिनांक 13.4.26 नोएडा में श्रमिक संगठनों द्वारा अपने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आन्दोलन किया गया जिसमें करीब 100–200 उपद्रवियों श्रमिको द्वारा एक राय होकर घातक हथियारों एवं लाठी डंडो तथा ईंट पत्थरों से लैस होकर चौकी क्षेत्र ट्रांसपोर्ट नगर थाना फेस 3 सेन्ट्रल नोएडा क्षेत्रान्तर्गत सैक्टर 64,65,67,68,69, में यातायात व्यवस्था को पूर्णतः जाम कर दिया गया था व वेतन वृद्धि की मांगो को लेकर नारे बाजी की गयी। उपरोक्त उपद्रवियों द्वारा विभिन्न कम्पनियों के मालिकों तथा कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को जान से मारने की नीयत से पथराव किया गया। कम्पनियों में घुसकर उनके सिक्योरिटी गेट, सीसीटीवी कैमरे तथा कांच एवं कार्यालय में घुसकर तोडफोड कर कम्पनियों में भारी क्षति पहुंचायी गयी व कम्पनी मालिको व कर्मचारियों के साथ गालीगलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की गयी तथा कम्पनियों के अन्दर खड़ी गाड़ियों में भी लाठी डंडो व पथराव कर तोड़फोड की गयी। बहुत सी कम्पनियों में तोड़फोड़ की गयी। प्रकरण विवेचनाधीन है।

3. प्रार्थिनी / अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. प्रार्थिनी / अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र के प्रस्तर 1 ता 10 पर बल देते हुए यह तर्क दियाा गया है कि प्रार्थिनी / अभियुक्ता निर्दोष है, उसको झूठा फंसाया गया है। प्रार्थिनी / अभियुक्ता द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया। प्रार्थिनी / अभियुक्ता दिनांक 18.04.2026 से कारागार में निरूद्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। प्रार्थिनी / अभियुक्ता ने किसी कं0 में कोई तोडफोड आदि नहीं की और ना ही कथित घटना के समय मौके पर थी। प्रार्थिनी / अभियुक्ता की घटना के आसपास की कोई लोकेशन भी नहीं है और न ही प्रार्थिनी / अभियुक्ता कभी घटनास्थल पर गयी है। घटना का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी मौजूद नहीं है। कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत प्रदान की जाये।

5. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया है कि मामले में कई कम्पनियों में तोड़फोड़ हुई है। भारी क्षति हुई है, कई कम्पनियों की ओर से इस संबंध में शिकायत

प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए है। 3 व्यक्तियों को घातक उपहति भी कारित हुई है। अनेको निजी वाहन भी तोड़े, जिसका विवरण केस डायरी के पर्चा संख्या 10 व 13 में अंकित है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6. प्रकरण में केस डायरी के अवलोकन से परिलक्षित है कि मामले में श्रमिक आंदोलन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में उग्र भीड़ द्वारा विभिन्न कम्पनियों में तोड़फोड़ का मामला है, विवेचना प्रचलित है। केस डायरी के पर्चा संख्या 11 व 13 में साक्षियों के बयानों में उपद्रवी व आक्रोशित भीड़ द्वारा जान से मारने की नीयत से हमला करना बताया गया है। उक्त भीड़ में प्रार्थिनी/अभियुक्ता उपस्थित हो, हिसांत्मक कार्यवाही में कोई विशिष्ट सक्रिय भूमिका अदा की गयी हो, इस प्रकार का कोई साक्ष्य इस स्तर पर न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं है। अभियोजन की ओर से प्रार्थिनी/अभियुक्ता की संलिप्तता, बयान वादी, निरीक्षण घटनास्थल तथा सी0सी0टी0वी0फुटेज के आधार पर दौरान विवेचना पाया जाना बताया गया है जबकि पत्रावली पर इस प्रकार का कोई सी0सी0टी0वी0फुटेज या इलैक्ट्रोनिक प्रिंट प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें प्रार्थिनी/अभियुक्ता की हिसांत्मक गतिविधियां संकलित हो। प्रार्थिनी/अभियुक्ता दिनांक 18.04.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत जमानत का आधार पर्याप्त हैं।

<u>आदेश</u>

7. प्रार्थिनी/अभियुक्ता शिवानी पुत्री सन्तराम द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू तथा निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग देने पर रिहा किया जाये कि–

1– प्रार्थिनी/अभियुक्ता विवेचना/विचारण में सहयोग करेगी तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगी।

2–प्रार्थिनी/अभियुक्ता, वादी मुकदमा पक्ष पर किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं बनायेगी और न ही गवाहों को डरायेगी, धमकायेगी।

(सोमप्रभा मिश्रा)
(J.O. Code-UP06136)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर।

"Check and verify the genuineness of the order through www.ecourts.gov.in"

Digitally signed by SOMPRABHA MISHRA
Date: 2026.06.25 15:51:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court